

## NIA और नागर वमिानन सुरक्षा

### प्रलमिस के लयि:

NIA और नागरकि उडडयन सुरक्षा, [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\)](#), [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#) और [गैर-कानूनी गतविधियिँ \(रोकथाम\) अधनियिम](#), आतंकवाद, उग्रवाद, नागर वमिानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)

### मेन्स के लयि:

NIA और नागरकि उडडयन सुरक्षा, आंतरकि सुरक्षा के लयि चुनौतयिँ उत्पन्न करने में बाहरी राज्य एवं गैर-राज्य अभकिरत्ताओं की भूमकिा

[स्रोत: द हद्वि](#)

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\)](#) ने एयर इंडयिा को धमकी मामले में एक [खालसितानी आतंकवादी](#) और [सखि फॉर जस्टिस \(SFJ\)](#) के संस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज कयिा है।

- भारत ने वर्ष 2019 में SFJ को "गैर-कानूनी संघ" के रूप में प्रतबिंधति कर दयिा, यह कहते हुए कयिह "राष्ट्र-वरिधी और वधिवंसक" गतविधियिँ में शामिल था।
- NIA ने SFJ के खिलाफ [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#) और [गैर-कानूनी गतविधियिँ \(रोकथाम\) अधनियिम](#) के प्रावधान लागू कयिे।

## राष्ट्रीय जाँच एजेंसी क्या है?

### परचिय:

- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो [आतंकवाद](#), [उग्रवाद](#) और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधति अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने के लयि ज़मिमेदार है।
  - कसिी देश में संघीय एजेंसियिँ का आमतौर पर उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो केवल राज्यों या प्रांतों के बजाय पूरे देश को प्रभावति करते हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 2008 में [मुंबई आतंकवादी हमलों](#) के बाद वर्ष 2009 में [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\) अधनियिम, 2008](#) के तहत की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालति है।
  - NIA अधनियिम, 2008 में संशोधन करते हुए जुलाई 2019 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (संशोधन) अधनियिम, 2019 पारति कयिा गया था।

### कार्य:

- NIA के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियिँ से प्राप्त आतंकवाद से संबंधति मामलों की जाँच करने की शक्ति है। इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त कयिे बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जाँच करने का भी अधिकार है।
- यह आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति मामलों में भारत एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियिँ के साथ समन्वय करती है।

### जाँच क्षेत्र:

- NIA अधनियिम, 2008 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार सूचीबद्ध अपराधों से संबंधति मामलों को NIA जाँच के लयि केंद्र सरकार को भेज सकती है।
- केंद्र सरकार NIA को अपने हसिाब से भारत के भीतर अथवा वदिश में कसिी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करने का नरिदेश दे सकती है।
- UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभयिकर्तों पर मुकदमा चलाने के लयि एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है।
- [वामपंथी उग्रवाद \(Left Wing Extremism- LWE\)](#) के आतंकी वतितपोषण से संबंधति मामलों से नपिटने के लयि एक वशिष प्रकोषट है। कसिी सूचीबद्ध अपराध की जाँच के दौरान NIA उससे जुड़े कसिी अन्य अपराध की भी जाँच कर सकती है। अंत में जाँच के बाद मामलों को NIA की वशिष न्यायालय के समकष प्रसतुत कयिा जाता है।

## उड्डयन सुरक्षा क्या है और भारत में इसे कैसे वनियमति कथिा जाता है?

### ■ परचिय:

- नागरकि उड्डयन सुरक्षा से तात्पर्य नागरकि उड्डयन को गैर-कानूनी हस्तक्षेप, जैसे- आतंकवादी हमलों, अपहरण, तोड़फोड़ और अन्य खतरों से बचाने के लिये लागू कथिे गए उपायों एवं प्रोटोकॉल से है।
- इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य यात्रियों, चालक दल, वमिन और हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनश्चिति करना है।

### ■ नयामक नकियाय:

- **नागर वमिनन सुरक्षा बयुरो (BCAS)** भारत में नागर वमिनन सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय नयामक के रूप में कार्य करता है।
  - आरंभकि तौर पर BCAS की स्थापना पांडे समतिका सफारशियों पर जनवरी, 1978 में DGCA में एक प्रकोषट के रूप में हुई थी। BCAS को वर्ष 1987 में नागर वमिनन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र वमिाग के रूप में पुनः स्थापति कथिा गया था।
- **नागर वमिनन महानदिशालय (DGCA)** भारत में अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई परविहन सेवाओं को नयितरति करता है। यह नागरकि उड्डानों के संबंघ में मानकों तथा उपायों को नरिधारति करता है।

### ■ नयिम:

- नागर वमिनन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप नागर वमिनन सुरक्षा को बढ़ाने के लिये **वमिन (सुरक्षा) नयिम, 2023** पेश कथिा है।

### ■ अंतरराष्ट्रीय नागर वमिनन पर अभसिमय:

- इसे आमतौर पर शकिागो कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र की एक वशिष एजेंसी, **अंतरराष्ट्रीय नागर वमिनन संगठन (International Civil Aviation Organization- ICAO)** के तत्वावधान में स्थापति कथिा गया था।
- शकिागो कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय नागर वमिनन के लिये मूलभूत संधिके रूप में कार्य करता है। यह **अंतरराष्ट्रीय नागर वमिनन के सुरक्षति तथा व्यवस्थति वकिस** के लिये सदिधांतों तथा मानकों की रूपरेखा तैयार करता है एवं इसमें वमिनन सुरक्षा से संबंघति प्रावधान शामिल हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/na-and-civil-aviation-security>

